

राजस्थान सरकार  
विधि एवं विधिक कार्य विभाग  
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक: प.8(41)राज/वाद/24

जयपुर, दिनांक 13/10/2024

:: आदेश ::

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 18) व राजस्थान लॉ एण्ड लीगल अफेयर्स डिपार्टमेन्ट मैन्युअल 1999 के नियम 15(2), 16 एवं 17 के अन्तर्गत कॉलम सं02 में वर्णित न्यायालयों में राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने हेतु कॉलम सं0 3 में वर्णित अभियोजकों को कॉलम सं0 4 में वर्णित पद पर मासिक रिटेनरशिप रूपये 21,200/- प्रतिमाह (निश्चित) पर एक वर्ष या अग्रिम आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए एतद्वारा नियुक्त किया जाता है:-

क्र.सं0	न्यायालय	नाम अभियोजक	पदनाम
1	2	3	4
1	अपर जिला एवं सेशन न्यायालय, सं01 खेतड़ी जिला नीमकाथाना	श्री मुकेश कुमार शर्मा (आर/357/1987)	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक सं01 खेतड़ी जिला नीमकाथाना
2	अपर जिला एवं सेशन न्यायालय, श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना	श्री रामावतार सैनी (आर/530/1993)	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना

निम्नांकित अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषकों को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त किया जाता है:-

क्र.सं0	नाम अभिभाषक	पद नाम
1	श्री उदय भान सिंह पुत्र श्री मदन लाल	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक सं01 खेतड़ी जिला नीमकाथाना
2	श्री गोविन्द नारायण तौवर	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना

आज्ञा से  
13/10/2024  
(राजेश गुप्ता)  
शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

- 1 प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
- 2 संयुक्त सचिव (एसएस), मुख्यमंत्री कार्यालय।
- 3 विशेष सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय।
- 4 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव, विधि।
- 5 महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
- 6 राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर/ जोधपुर।
- 7 संबंधित जिला एवं सेशन न्यायाधीश।
- 8 संबंधित न्यायालय।
- 9 संबंधित जिला कलवटर।
- 10 संबंधित कोषधिकारी।
- 11 संबंधित अभियोजक।
- 12 अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को प्रकाशनार्थ।
- 13 सहायक लेखाधिकारी, प्रधम, विधि(वादकरण) विभाग।
- 14 प्रोग्रामर, विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 15 रक्षित पत्रावली।

*Lew*  
13/10/2009  
(राजेश गुप्ता)  
शासन सचिव, विधि